

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....  
 सरजू बेवा भज्जूदास वेष्णव, कानपुरा.....बनाम.....हगामीदास पिता हनुमानदास वेष्णव वगैरह  
 किस्म मुकदमा वादपत्र - 188 नं. 24 15 /2017 निवासी कानपुरा सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

16/5/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई। वादीया श्रीमति सरजू, प्रतिवादी हगामीदास, भज्जूदास, नानूदास उपस्थित हुये। वादीया श्रीमति सरजू ने आज उपस्थित होकर कथन किया कि वर्तमान में हम पञ्जाब के मध्य कोई विवाद नहीं है। अतः हमें उक्त मुकदमे में आगे कोई कार्यवाही करवाना नहीं चाहती हूँ। मेरा मुकदमा बन्द कराने की कृपा करावे।

चुकि: वादीया के स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहना जाहिर किया है। अतः स्थिति में इस प्रकरण को कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है।

पत्रावली शुमार करके दफ्तर के आदेश आज दिनांक 16/5/2018 को ठुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट फलामादा पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) गुलाबपुरा  
जिला-भीलवाड़ा



Web Copy - Not Official